तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मुकदमा संख्या :– 148/2022 राजेन्द्र सिंह बनाम तहसीलदार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
7-09-2022	प्रार्थना पत्र वाद रिपोर्ट तहसीलदार पेश हुआ। प्रार्थी श्री राजेन्द्र सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि खसरा नम्बर 64 की खातेदारी वर्तमान में अखिलेश, नरेन्द्र, प्रवीण पुत्र सुरेन्द्र वगै जाति जाट के नाम दर्ज है। खसरा नम्बर 64 के पुराने खसरा नम्बर 24/3 है। उक्त 24/3 खसरा नम्बर की खातेदारी नामान्तकरण संख्या 263 (खाता विभाजन) के द्वारा हमारे नाम दर्ज हुई थी, लेकिन मिसल जमाबंदी में खसरा नम्बर 64 की खातेदारी सामूहिक रूप से दर्ज कर दी गई है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर खसरा नम्बर 64 की खातेदारी दर्ज करवाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजातों एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन किया गया। गत खसरा नम्बर 24/3 की खातेदारी महावीर पुत्र देबुराम के नाम दर्ज थी जिसके नये खसरा नम्बर 64, 65, 66 बने हैं। भू– प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 65, 66 की खातेदारी गत रिकार्ड के अनुसार महावीर पुत्र देबूराम के नाम से दर्ज रिकार्ड है जबकि खसरा नम्बर 64 की खातेदारी महावीर, खींवाराम, हरिशचन्द्र, लादूराम पुत्र देबूराम जाति जाट के नाम दर्ज की गई है। जबकि खसरा नम्बर 64 की खातेदारी खसरा नम्बर 65, 66 के खातेदारों के नाम ही दर्ज होनी चाहिए थी। अतः उक्त रिकार्ड एवं तहसीलदार झुन्झुनू की अभिशंषा के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत घर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः **आदेश** प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसील झुन्झुनू स्थित ग्राम ढेवा का बास की जमाबंदी सम्वत 2074–77 के खसरा नम्बर 64 में अशुद्ध प्रविष्टि अखिलेश, नरेन्द्र, प्रवीण पिता सुरेन्द्र सिंह, केशर पत्नी हरिशचन्द्र, सत्येन्द्र, मनोज कुमार पुत्र हरिशचन्द्र, लादूराम, खींवाराम पुत्र देबुराम का नाम हजब किया जाकर खसरा नम्बर 64 का संपूर्ण हिस्सा महावीर पुत्र देबुराम के वारिसों के नाम शुद्ध किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)	